

न्यायालय-नेहा यति मिश्रा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ़ (छ.ग.)

क्रमांक-क्यू./सी.जे.एम./2026

रायगढ़, दिनांक 23.05.2026

दांडिक कार्य विभाजन आदेश

मैं नेहा यति मिश्रा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ़ (छ.ग.) दांडिक कार्यविभाजन के संबंध में पूर्व में जारी किए गए कार्यविभाजन आदेश में संशोधन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 12(1) एवं 13(2) में प्रदत्त प्रावधानों के तहत राजस्व जिला रायगढ़ में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट के मध्य दांडिक प्रकरणों एवं कार्यों का विभाजन के संबंध में निम्न प्रकार से करती हूँ, जो माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय रायगढ़ (छ.ग.) के अनुमोदन में निर्दिष्ट तिथि से लागू होगा-

(1) कार्य विभाजन-

क्र	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम एवं पद	आरक्षी केंद्र	कार्य विभाजन एवं उसका क्षेत्र
01.	नेहा यति मिश्रा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ़	1. कोतवाली 2. जूटमिल 3. यातायात 4. परिवहन 5. जी.आर.पी. 6. वन परिक्षेत्र 7. संपूर्ण आबकारी विभाग (वृत्त उत्तर, दक्षिण, शहर रायगढ़ एवं उड़नदस्ता रायगढ़)	1. कॉलम नम्बर-02 में उल्लेखित आरक्षी केंद्र से उद्धृत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों, परिवाद, रिमाण्ड प्रकरण, सुपुर्दनामा, खात्मा की कार्यवाही (धारा 74 से 79 भारतीय न्याय संहिता 2023 के आपराधिक मामले एवं ऐसे आपराधिक मामले जिनके विचारण का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को प्राप्त है, को छोड़कर) का निराकरण करना। 2. रायगढ़ जिला से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरणों के खारिजी प्रकरण की कार्यवाही करना। 3. जिला रायगढ़ क्षेत्रांतर्गत उद्धृत (संसदीय सदस्य/विधान सभा के सदस्य के खिलाफ) आपराधिक प्रकरणों का विचारण एवं निराकरण करना। <u>किन्तु विशेष न्यायालय के अंतर्गत आने वाले मामलों की खात्मा, खारिजी प्रकरणों को छोड़कर।</u>

			4. ऐसे समस्त अपराधों का संज्ञान लेना, जांच तथा विचारण करना जिनका उल्लेख इस कार्य विभाजन आदेश में नहीं है तथा जो किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को नहीं सौंपा गया है या क्षेत्राधिकार संबंधी कोई अन्य विवाद हो गया हो। 5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय, भारत संघ, माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर एवं माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ द्वारा सौंपे गये समस्त कार्यों एवं मामलों का निराकरण करना। <u>किन्तु ऐसे मामलों को छोड़कर जिसका सीधे संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को है।</u>
02	श्री देवाशीष ठाकुर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायगढ़	पुसौर	1. थाना पुसौर (रायगढ़ तहसील क्षेत्र) से उत्पन्न आपराधिक प्रकरण, परिवाद, रिमाण्ड, जमानत, सुपुर्दनामा, खात्मा की कार्यवाही एवं निराकरण करना। 2. अपने थाना क्षेत्र के छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण, रिमाण्ड, जमानत, सुपुर्दनामा का निराकरण करना। 3. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ़ द्वारा सौंपे गये समस्त कार्यों एवं आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। <u>किन्तु ऐसे मामलों को छोड़कर जिसका सीधे संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को है।</u>
03	श्रीमती भावना नायक ठाकुर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायगढ़		माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ़ द्वारा सौंपे गये समस्त कार्यों एवं आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। <u>किन्तु ऐसे मामलों को छोड़कर जिसका सीधे संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को है।</u>

04	श्री प्रतीक टेम्पुरकर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायगढ़	1. चक्रधरनगर 2. साईबर	1. थाना चक्रधरनगर एवं साईबर (रायगढ़ तहसील क्षेत्र) से उत्पन्न आपराधिक प्रकरण, परिवाद, रिमाण्ड, सुपुर्दनामा, खात्मा की कार्यवाही करना। 2. अपने थाना क्षेत्र के छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण, रिमाण्ड, जमानत, सुपुर्दनामा का निराकरण करना। 3. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ़ द्वारा सौंपे गये समस्त कार्यों एवं आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। <u>किन्तु ऐसे मामलों को छोड़कर जिसका सीधे संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को है।</u>
05	श्री अजय लकडा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायगढ़	पूंजीपथरा	1. थाना पूंजीपथरा (रायगढ़ तहसील क्षेत्र) से उत्पन्न आपराधिक प्रकरण, परिवाद, रिमाण्ड, जमानत, सुपुर्दनामा, खात्मा की कार्यवाही एवं निराकरण करना। 2. अपने थाना क्षेत्र के छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण, रिमाण्ड, जमानत, सुपुर्दनामा का निराकरण करना। 3. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ़ द्वारा सौंपे गये समस्त कार्यों एवं आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। <u>किन्तु ऐसे मामलों को छोड़कर जिसका सीधे संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को है।</u>
06	सुश्री पुनीत समीक्षा खलखो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायगढ़	1. कोतरारोड 2. महिला थाना	1. जिला मुख्यालय रायगढ़ स्थित न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाला समस्त थाना क्षेत्र के अंतर्गत महिलाओं के विरुद्ध

		अपराध से संबंधित धारा 74, 78, 79 भारतीय न्याय संहिता-2023 (धारा 354, 509 भा.दं.सं.), Pre-Natal diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Seletction) Act, 1994 संपूर्ण आपराधिक प्रकरणों, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, दहेज प्रतिषेध अधिनियम से संबंधित मामले, परिवार, रिमाण्ड, सुपुर्दनामा, खात्मा, परिवार की कार्यवाही एवं निराकरण करना। 2. थाना कोतारोड एवं महिला थाना (रायगढ़ तहसील क्षेत्र) से उत्पन्न आपराधिक प्रकरण, परिवार, रिमाण्ड, सुपुर्दनामा, खात्मा की कार्यवाही करना। 3. अपने थाना क्षेत्र के छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण, रिमाण्ड, जमानत, सुपुर्दनामा का निराकरण करना। 4. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ़ द्वारा सौंपे गये समस्त कार्यों एवं आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। <u>किन्तु ऐसे मामलों को छोड़कर जिसका सीधे संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को है।</u>
07	सुश्री निशी बड़ा न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, रायगढ़	1. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ़ द्वारा सौंपे गये समस्त

			कार्यों एवं आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। <u>किन्तु ऐसे मामलों को छोड़कर जिसका सीधे संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को है।</u>
08	सुश्री सलमा लकड़ा न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, रायगढ़		माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ़ द्वारा सौंपे गये समस्त कार्यों एवं आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। <u>किन्तु ऐसे मामलों को छोड़कर जिसका सीधे संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को है।</u>
09	श्रीमती मिनी ठाकुर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी घरघोड़ा जिला रायगढ़ (छ.ग.)		माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ़ द्वारा सौंपे गये समस्त कार्यों एवं आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। <u>किन्तु ऐसे मामलों को छोड़कर जिसका सीधे संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को है।</u>

//परिशिष्ट ए//

अनुपस्थिति की दशा में:-

रायगढ़ जिले में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर या अनुपस्थिति पर उनके न्यायालय से संबंधित आवश्यक प्रकृति के कार्य निम्नानुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा:-

क्रमांक	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम व पद	अनुपस्थिति में आवश्यक कार्य सम्पादन करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम व पद
01.	नेहा यति मिश्रा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ़ (छ.ग.)	1. श्री देवाशीष ठाकुर, जे.एम.एफ.सी रायगढ़ 2. श्रीमती भावना नायक, जे.एम.एफ.सी रायगढ़ 3. श्री प्रतीक टेम्भुरकर जे.एम.एफ.सी., रायगढ़ 4. श्री अजय लकड़ा, जे.एस.एफ.सी., रायगढ़ 5. सुश्री पुनीत समीक्षा खलखो, जे.एम.एफ.सी. रायगढ़
02.	श्री देवाशीष ठाकुर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायगढ़ (छ.ग.)	1. श्रीमती भावना नायक, जे.एम.एफ.सी रायगढ़ 2. श्री प्रतीक टेम्भुरकर जे.एम.एफ.सी., रायगढ़ 3. श्री अजय लकड़ा, जे.एस.एफ.सी., रायगढ़ 4. सुश्री पुनीत समीक्षा खलखो, जे.एम.एफ.सी. रायगढ़
03.	श्रीमती भावना नायक न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायगढ़ (छ.ग.)	1. सुश्री पुनीत समीक्षा खलखो, जे.एम.एफ.सी. रायगढ़ 2. श्री अजय लकड़ा, जे.एस.एफ.सी., रायगढ़ 3. श्री प्रतीक टेम्भुरकर जे.एम.एफ.सी., रायगढ़ 4. श्री देवाशीष ठाकुर, जे.एस.एफ.सी., रायगढ़
04.	श्री प्रतीक टेम्भुरकर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायगढ़ (छ.ग.)	1. श्री देवाशीष ठाकुर, जे.एम.एफ.सी रायगढ़ 2. श्रीमती भावना नायक, जे.एम.एफ.सी रायगढ़ 3. श्री अजय लकड़ा, जे.एस.एफ.सी., रायगढ़ 4. सुश्री पुनीत समीक्षा खलखो, जे.एम.एफ.सी. रायगढ़

05.	श्री अजय लकड़ा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायगढ़ (छ.ग.)	1. श्रीमती भावना नायक, जे.एम.एफ.सी. रायगढ़ 2. श्री प्रतीक टेम्भुरकर जे.एम.एफ.सी., रायगढ़ 3. श्री देवाशीष ठाकुर, जे.एस.एफ.सी., रायगढ़ 4. सुश्री पुनीत समीक्षा खलखो, जे.एम.एफ.सी. रायगढ़
06.	सुश्री पुनीत समीक्षा खलखो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायगढ़ (छ.ग.)	1. श्रीमती भावना नायक, जे.एम.एफ.सी. रायगढ़ 2. श्री प्रतीक टेम्भुरकर जे.एम.एफ.सी., रायगढ़ 3. श्री देवाशीष ठाकुर, जे.एस.एफ.सी., रायगढ़ 4. श्री अजय लकड़ा, जे.एम.एफ.सी. रायगढ़
07.	सुश्री निशी बड़ा न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, रायगढ़	1. श्री अजय लकड़ा, जे.एम.एफ.सी. रायगढ़ 2. सुश्री पुनीत समीक्षा खलखो, जे.एम.एफ.सी. रायगढ़ 3. श्री देवाशीष ठाकुर, जे.एस.एफ.सी., रायगढ़ 4. श्रीमती भावना नायक, जे.एम.एफ.सी. रायगढ़ 5. श्री प्रतीक टेम्भुरकर जे.एम.एफ.सी., रायगढ़
08.	सुश्री सलमा लकड़ा न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, रायगढ़	1. श्री अजय लकड़ा, जे.एम.एफ.सी. रायगढ़ 2. सुश्री पुनीत समीक्षा खलखो, जे.एम.एफ.सी. रायगढ़ 3. श्री देवाशीष ठाकुर, जे.एस.एफ.सी., रायगढ़ 4. श्रीमती भावना नायक, जे.एम.एफ.सी. रायगढ़ 5. श्री प्रतीक टेम्भुरकर जे.एम.एफ.सी., रायगढ़
09.	श्रीमती मिनी ठाकुर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी घरघोड़ा जिला रायगढ़ (छ.ग.)	1. श्री दामोदर, जे.एम.एफ.सी., घरघोड़ा 2. कु. प्रीति झा, जे.एम.एफ.सी., घरघोड़ा 3. कु. मृणालिनी कातुलकर, जे.एम.एफ.सी. खरसिया 4. श्रीमती मीनाक्षी नाग, जे.एम.एफ.सी. खरसिया 5. श्री प्रतीक टेम्भुरकर जे.एम.एफ.सी. रायगढ़ 6. श्री अजय लकड़ा, जे.एम.एफ.सी. रायगढ़

// आवश्यक निर्देश //

01. किसी भी अधिनियम से संबंधित अपराध के संबंध में यदि कोई शंका की स्थिति निर्मित होती है, तब ऐसी स्थिति में ऐसे प्रकरणों का निराकरण मुख्यालय में पदस्थ वरिष्ठ मजिस्ट्रेट द्वारा किया जावेगा तथा प्रकरण के रिमाण्ड, प्रस्तुति, इन्वेन्ट्री, धारा-183, 184 भा०ना०सु०सं० के अंतर्गत कथन के संबंध में कोई शंका की स्थिति उत्पन्न होने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जिले में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट को नामित किये जाने पर उनके द्वारा प्रकरण के रिमाण्ड, प्रस्तुति, इन्वेन्ट्री, धारा-183, 184 भा०ना०सु०सं० के अंतर्गत कथन संबंधी कार्यवाही की जावेगी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अनुपस्थिति या अवकाश होने पर जिले में पदस्थ वरिष्ठ मजिस्ट्रेट के द्वारा उस कार्य को संपादित किया जावेगा।

02. पूर्व न्यायिक मजिस्ट्रेट (जो वर्तमान में रायगढ़ जिला में पदस्थ नहीं हैं) द्वारा नियमित आपराधिक प्रकरण एवं धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के प्रकरणों में जारी स्थायी वारंट के पालन में आरोपी को अभिरक्षा में प्रस्तुत करने पर या आरोपी द्वारा समर्पण करने पर उनके स्थान पर पदस्थ वर्तमान न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा स्थायी गिरफ्तारी वारंट के संबंध में कार्यवाही की जावेगी एवं उस प्रकरण का निराकरण किया जावेगा। शंका की स्थिति में या पूर्व न्यायिक मजिस्ट्रेट के स्थान पर किसी के पदस्थ न रहने की स्थिति में संबंधित आरक्षी केंद्र पर क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा और उन्हीं के द्वारा प्रकरण का निराकरण किया जावेगा।

03. पूर्व न्यायिक मजिस्ट्रेट (जो वर्तमान में रायगढ़ जिला में पदस्थ नहीं हैं) के न्यायालय से संबंधित कोई भी आपराधिक अपीलार्थ प्रकरण एवं माननीय अपीलार्थ न्यायालय से अभिलेख रिमाण्ड होने के

पश्चात् अथवा अपील विविध कार्यवाही से संबंधित कार्यवाही का संपादन उनके स्थान पर पदस्थ वर्तमान न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जावेगा। शंका की स्थिति में या पूर्व न्यायिक मजिस्ट्रेट के स्थान पर किसी के पदस्थ न रहने की स्थिति में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में पेश होगा।

04. साईबर सेल से संबंधित सुपुर्दनामा प्रकरणों का निराकरण संबंधित थाना क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जावेगा एवं समय-समय पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ़ द्वारा सॉपे जाने पर प्रकरण का निराकरण किया जावेगा।

05. न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश/अनुपस्थिति के दौरान संबंधित मजिस्ट्रेट के थाना क्षेत्र से उद्धृत समरी प्रकरणों को भी उपरोक्त आवश्यक कार्य करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत् निराकृत किया जायेगा।

06. यदि उपरोक्त आवश्यक कार्य करने वाले कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट उपलब्ध न हो तो मुख्यालय में उपस्थित एवं उपलब्ध वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा आवश्यक प्रकृति के कार्य किया जायेगा।

(2) रिमाण्ड ड्यूटी

01. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी धर्मजयगढ़ अवकाश दिवस में अपने स्टाफ के साथ अपने न्यायालय में आवश्यक न्यायिक रिमाण्ड संबंधी कार्यों का निष्पादन करेंगे।

02. अपरिहार्य कारणों से या मजिस्ट्रेट के स्थानांतरण की दशा में उक्त रिमाण्ड ड्यूटी आपसी सहमति से बदला जा सकेगा, लेकिन उसके लिये मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ़ को पूर्व सूचना देना आवश्यक होगा। जिला मुख्यालय रायगढ़ में कार्य दिवस में प्रत्येक दशा में कम से कम एक न्यायिक मजिस्ट्रेट आवश्यक रूप से उपस्थित रहेंगे।

03. अपरिहार्य परिस्थिति निर्मित होने पर रिमाण्ड ड्यूटी या अन्य कार्यवाही हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ़ द्वारा निर्देशित न्यायिक मजिस्ट्रेट आवश्यक न्यायिक कार्यों का निष्पादन करेंगे।

04. रायगढ़ जिला के समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, अवकाश पर जाने के पूर्व या मुख्यालय छोड़ने के पूर्व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ़ की लिखित अनुशंसा (विशेष परिस्थिति में मौखिक अनुशंसा) पर ही किसी भी प्रकार के अवकाश पर या मुख्यालय से बाहर रहने के लिये अग्रसर होंगे तथा अवकाश से लौटने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ़ को सूचित करेंगे तथा सभी अवकाश आवेदन की प्रतिलिपि उनकी अनुपस्थिति में कार्य करने वाले मजिस्ट्रेट को देना आवश्यक होगा।

(3) धारा 183, 184 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (धारा 164, 164(क) दण्ड प्रक्रिया संहिता) के तहत कथन दर्ज करने की अधिकारिता

01. रायगढ़ जिले में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटों के द्वारा धारा 183, 184 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (धारा 164, 164(क) दण्ड प्रक्रिया संहिता) के अंतर्गत समस्त कार्यवाही करना/संस्वीकृति एवं कथनों का लेखबद्ध किया जाना एवं उनकी अनुपस्थिति में उक्त कथन निम्नानुसार दर्ज किया जावेगा:-

क्र.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम व पद	आवश्यक कार्य सम्पादन करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेटों का नाम व पद
1	2	3
01.	1. जिला न्यायालय, रायगढ़ से	श्री अजय लकड़ा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायगढ़

संबंधित समस्त थाना क्षेत्र से उद्धृत धारा 74 से 79 भारतीय न्याय संहिता 2023 (धारा 354 से 354 (डी) एवं 509 भारतीय दण्ड संहिता) से संबंधित धारा 183, 184 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (धारा 164, 164(क) दण्ड प्रक्रिया संहिता) के कथन कॉलम नंबर-3 में दर्ज न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा लेखबद्ध किया जावेगा।

नोट: उपरोक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट के अनुपस्थित रहने पर उनकी अनुपस्थिति में परिशिष्ट ए के अनुसार कार्य करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त बयान लेखबद्ध किये जाएंगे (सुश्री पुनीत समीक्षा खलखो, जे.एम.एफ.सी. रायगढ़ को छोड़कर)

02. आरक्षी केंद्र कोतवाली, पुसौर एवं जी.आर.पी. से उद्धृत यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम 2012 से व अन्य अपराध से संबंधित धारा 183, 184 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (धारा 164, 164(क) दण्ड प्रक्रिया संहिता) के कथन कॉलम नंबर-3 में दर्ज न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा लेखबद्ध किया जावेगा।

श्री प्रतीक टेम्भुरकर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायगढ़

नोट: उपरोक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट के अनुपस्थित रहने पर उनकी अनुपस्थिति में परिशिष्ट ए के अनुसार कार्य करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त बयान लेखबद्ध किये जाएंगे

03. आरक्षी केंद्र जूटमिल, पूंजीपथरा, कोतारोड एवं महिला थाना से उद्धृत यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम 2012 से संबंधित व अन्य अपराध से संबंधित धारा 183, 184 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (धारा 164, 164(क) दण्ड प्रक्रिया संहिता) के कथन कॉलम नंबर-3 में दर्ज न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा लेखबद्ध किया जावेगा।

श्रीमती भावना नायक, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायगढ़

नोट: उपरोक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट के अनुपस्थित रहने पर उनकी अनुपस्थिति में परिशिष्ट ए के अनुसार कार्य करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त बयान लेखबद्ध किये जाएंगे

04. आरक्षी केंद्र पूंजीपथरा, चक्रधरनगर एवं साईबर से उद्धृत यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम 2012 से संबंधित व अन्य अपराध से संबंधित धारा 183, 184 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (धारा 164, 164(क) दण्ड प्रक्रिया संहिता) के कथन कॉलम नंबर-3 में दर्ज न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा लेखबद्ध किया जावेगा।

सुश्री पुनीत समीक्षा खलखो, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायगढ़

नोट: उपरोक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट के अनुपस्थित रहने पर उनकी अनुपस्थिति में परिशिष्ट ए के अनुसार कार्य करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त बयान लेखबद्ध किये जाएंगे

(4) एनडीपीएस एक्ट में तौल एवं सीलबंद की कार्यवाही -

उक्त कार्यवाही निम्नानुसार नामित मजिस्ट्रेट के द्वारा की जावेगी-

आरक्षी केन्द्र	मजिस्ट्रेट
पुसौर एवं जी.आर.पी.	श्री प्रतिक टेम्भुरकर, जे.एम.एफ.सी. रायगढ़
कोतवाली एवं महिला थाना	श्री देवाशीष ठाकुर, जे.एम.एफ.सी. रायगढ़
जूटमिल, कोतसरोड	श्री अजय लकड़ा, जे.एम.एफ.सी. रायगढ़
पूँजीपथरा, चक्रधरनगर एवं साईबर	सुश्री पुनीत समीक्षा खलखौ, जे.एम.एफ.सी. रायगढ़

उपरोक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट के अनुपस्थित रहने पर उनकी अनुपस्थिति में कार्य करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त कार्यवाही की जाएगी (उन मजिस्ट्रेटों को छोड़कर जिन्हें आरक्षी केन्द्र आवंटित किया गया है)।

(5) न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की अनुपस्थिति व न्यायालय रिक्त होने की दशा में-

01. नीचे उल्लेखित लिंक न्यायिक अधिकारियों द्वारा माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 14754/डी.एण्ड.ए./2023 बिलासपुर दिनांक 08.11.2023 एवं ज्ञापन क्रमांक 15250/डी.एण्ड.ए./2023 बिलासपुर दिनांक 23.11.2023 के अनुपालन में निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन किया जावेगा:-

"The concerned link Judicial Officer will take up not only urgent cases of that court, but also take up the cases in which witnesses have come to record their evidence, if possible, and if not possible they will be bound over and given next date of not later than 03 days from the date of joining of the Presiding Officer considering the judicial diary of that court and bound the witnesses except the official witnesses."

"Apart from urgent cases and cases in which witnesses have come, all Civil and Criminal cases of the Court will be taken by the link Judicial Officer and will be fixed for hearing/for the purpose for which it is already listed without fail, if for any reason it is not possible for the link Judicial Officer to hear the case, it will be adjourned not later than three days from the date of joining of the Judicial officer considering the judicial diary of that Court and in no case it will be adjourned by the reader."

परिशिष्ट ए के अनुसार उक्त संबंध में कार्यवाही की जावेगी।

अनुमोदित
25/11/23
Principal District & Sessions Judge
Raigarh (C.G.)

23.11.23
(नेहा यति मिश्रा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
रायगढ़ (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्रमांक क्यू./सी.जे.एम./2026
प्रतिलिपि प्रेषित:-

रायगढ़, दिनांक-25/05/2026

01. श्रीमान् जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एफ.टी.एस.सी.(POCSO) रायगढ़/सारंगढ़ की ओर सादर सूचनार्थ।
02. श्रीमान् द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/छठम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश रायगढ़ की ओर सादर सूचनार्थ।
03. श्रीमान् जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.) रायगढ़/सारंगढ़ की ओर सादर सूचनार्थ।
04. श्रीमान् जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सारंगढ़/घरघोड़ा की ओर सादर सूचनार्थ।
05. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायगढ़/घरघोड़ा/खरसिया/धरमजयगढ़ जिला रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
06. जिला दण्डाधिकारी, रायगढ़ को सूचनार्थ।
07. पुलिस अधीक्षक, रायगढ़ को सूचनार्थ एवं रायगढ़ जिले के समस्त थाना प्रभारों को प्रतिलिपि उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
08. उप संचालक जिला अभियोजन, रायगढ़ की ओर सूचनार्थ।
09. वन मण्डलाधिकारी, रायगढ़ की ओर सूचनार्थ।
10. जिला आबकारी अधिकारी, रायगढ़ को सूचनार्थ।
11. प्रभारी, जिला परिवहन/परिवहन उड़नदस्ता रायगढ़ को सूचनार्थ।
12. अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ रायगढ़ एवं तहसील अधिवक्ता संघ घरघोड़ा/खरसिया/धरमजयगढ़ जिला रायगढ़ की ओर सूचनार्थ।
13. प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़।
14. प्रस्तुतकार, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़।
15. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय को सूचनार्थ एवं वेबसाईड में अपलोड किये जाने हेतु।
16. कार्यालय लिपिक नजारत/अभिलेखागार/ग्रंथालय/प्रतिलिपि/पंजीयन शाखा को सूचनार्थ।
17. प्रस्तुतकार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

रायगढ़
दिनांक-25/05/2026

(नेहा यति मिश्रा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
रायगढ़ (छ.ग.)